भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3
सोमवार, 21 जुलाई, 2025 (30 आषाढ़, 1947 (शक)) को दिया जाने वाला उत्तर

एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआई-171 के अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण

3. डा. कनिमोझी एनवीएन सोमू:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान संख्या एआई-171 (अहमदाबाद-लंदन उड़ान) के दुर्घटनाग्रस्त होने के मुख्य कारण क्या हैं;
(ख) इस दुर्घटना में कितने लोग मारे गए/घायल हुए;
(ग) यात्रियों के अलावा अन्य लोगों सहित पीड़ितों को कितना मुआवजा दिया गया;
(घ) क्या किसी जांच का आदेश दिया गया है;
(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा तोड़फोड़ की घटना सामने आई है;
(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ज) जिम्मेदार ठहराए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और
(झ) भविष्य में ऐसी दुर्घटना न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) से (ज): अहमदाबाद में दिनांक 12.06.2025 को एअर इंडिया की फ्लाइट एआई-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के संभावित कारण(णों)/योगदायी कारक(कों) का निर्धारण करने के लिए वायुयान (दुर्घटनाओं और घटनाओं का अन्वेषण) नियमावली, 2017 के नियम 11 के तहत महानिदेशक, वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच का आदेश दिया गया है।

दुर्घटना पर प्रारंभिक रिपोर्ट एएआईबी द्वारा 12 जुलाई, 2025 को प्रकाशित की गई है और यह उनकी वेबसाइट www.aaib.gov.in पर उपलब्ध है।

दुर्घटना के संभावित कारण(णों)/योगदायी कारक(कों) को निर्धारित करने के लिए हर पहलू की जांच-पड़ताल की जा रही है।

दुर्घटना में 260 लोग जानलेवा चोटों से घायल हुए, जिनमें से 241 विमान में सवार थे और 19 जमीन पर थे।

दुर्घटना में 81 लोग घायल हुए थे।

एअर इंडिया ने सूचित किया है कि उसने 15 जुलाई 2025 की स्थिति के अनुसार 114 मृतकों के निकटतम परिजन (एन.ओ.के.) को 25 लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा जारी कर दिया है। शेष मृतकों के संबंध में, अंतरिम मुआवजे का भुगतान, निकटतम परिजन द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने के विभिन्न चरणों में है। अंतरिम मुआवजे की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात अंतिम मुआवजे की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।

एअर इंडिया ने यह भी सूचित किया है कि टाटा सन्स ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 1 करोड़ रुपये का स्वैच्छिक अनुग्रह भुगतान देने की घोषणा की है, जो टाटा सन्स द्वारा एक संबंधित ट्रस्ट, जिसके माध्यम से यह भुगतान किया जाएगा, की स्थापना के प्रक्रियाधीन चरण के पूरा होने के पश्चात आरंभ किया जाएगा। इसके अलावा, एअर इंडिया मृतकों और घायल व्यक्तियों के परिवारों को विभिन्न प्रकार से सहायता प्रदान कर रही है, जैसे यात्रा व्यवस्था, आवास, चिकित्सा व्यय, घायल हुए दैनिक वेतन भोगियों को तत्काल नकद भुगतान, आदि।

भारत ने विमानवहन अधिनियम, 1972 में संशोधन करके मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 का अनुसमर्थन किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के संबंध में यात्री की मृत्यु, सामान या कार्गो के विलंब, क्षति या हानि के मामले में मुआवजे के लिए वाहकों की देनदारियों का प्रावधान है।

(झ): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) - भारत में सुरक्षित परिचालन सुनिश्चित करने हेतु विमानन सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक मजबूत तंत्र है। नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा नियमित आधार पर निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:

(1) नागर विमानन महानिदेशालय के पास सभी विमानों और हवाईअड्डा प्रचालकों को शामिल करते हुए नियमों और नागर विमानन अपेक्षाओं के अनुपालन की निगरानी के लिए एक व्यवस्थित सुरक्षा निरीक्षण तंत्र है। सुरक्षा निरीक्षण प्रक्रिया में निगरानी, स्पॉट चैक और विनियामक संपरीक्षांए शामिल हैं। इसके अलावा, जोखिम को देखते हुए विशेष संपरीक्षण भी किए जाते हैं।

(2) नागर विमानन महानिदेशालय अपनी वेबसाइट पर वार्षिक निगरानी योजना (एएसपी) प्रकाशित करता है। प्रत्येक निदेशालय वार्षिक निगरानी योजना के अनुरूप अपने-अपने तकनीकी क्षेत्रों में निगरानी/स्पॉट चैक करता है।

(3) संपरीक्षा, निगरानी और स्पॉट चैक के निष्कर्षों का संबंधित प्रचालक द्वारा अनुपालन के लिए अनुवर्तन किया जाता है। उचित सत्यापन के बाद पर्यवेक्षण बंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा, ऑपरेटर द्वारा की गई कार्रवाई के अनुपालन का सत्यापन अगली संपरीक्षा/निगरानी के दौरान किया जाता है।

(4) संपरीक्षा/निगरानी के दौरान विनियमों के किसी भी उल्लंघन/गैर-अनुपालन का पता चलने पर, नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा वित्तीय दंड सहित प्रवर्तन कार्रवाई की जाती है।

(5) न्यूनतम स्वीकार्य सुरक्षा स्तर (एएलओएस) को पूरा करने के लिए, नागर विमानन महानिदेशालय ने "परिचालन सुरक्षा जोखिम" युक्त एक राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा योजना स्थापित की है। प्रत्येक परिचालन सुरक्षा जोखिम को सुरक्षा निष्पादन लक्ष्यों और उद्देश्यों से जुड़े सुरक्षा निष्पादन संकेतकों के संदर्भ में मापा जाता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सेवा प्रदाताओं के परामर्श से एक कार्य योजना तैयार की गई है। वर्तमान राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा योजना 2024 से 2028 तक के लिए है।

******